

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

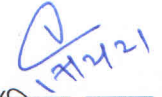
संकल्प

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-2024, दिनांक-14.08.2020 की कंडिका-11 (III) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संकल्प की कंडिका-7 (I), (ii) के पश्चात 7 (I), (iii) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है:-

“जो शहर में मजदूरी करने आते हो और ग्रामीण क्षेत्र में जिनका मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं हो”।

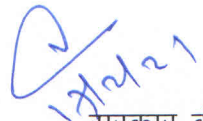
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

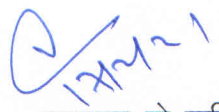
ज्ञापांक:-01/नी0नि0 (SHRAMIK) -01/2020 न0वि0आ0.....468..... राँची, दि0-17/08/2021

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/नी0नि0 (SHRAMIK) -01/2020 न0वि0आ0.....468..... राँची, दि0-17/08/2021

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/महाप्रबंधक, जुडको/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।